पुलिस ने पकड़ी 6 पेटी अवैध शराब

नवभारत न्यूज
मुरैना, 22 मार्च। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ द्वारा अवैध

आरोपी हिरासत में

मादक पदार्थों-शराब की तस्करी एवं क्रय- विक्रय के कारोबार में लिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु संपूर्ण मुरैना जिले में विशेष अभियान संचालित कराया जा रहा है। उक्त अभियान के तारतम्य में अति. पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र पाल सिंह डावर के निर्देशन एवं एसडीओपी अम्बाह रवि सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में थाना अम्बाह पुलिस द्वारा अवैध रूप से भंडारित की गई 01 पेटी बोयर एवं 06 पेटी देशी शराब कीमती करीबन 40,000 /- की जब्त की गई।

दिनांक 21.03.2026 को थाना अम्बाह पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बीच का पुरा रिठौना में 01 व्यक्ति द्वारा अपने घर में बड़ी मात्रा में अवैध शराब बेचने के उद्देश्य से भंडारित करके रखी हुई है। मुखबिर की उक्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करने हुए थाना अम्बाह पुलिस द्वारा मुखबिर द्वारा बताये स्थान ग्राम बीच का पुरा रिठौना में उक्त स्थान दबिश देकर वहां से 01 व्यक्ति को पकड़कर घर की तलाशी ली गई तो घर के पिछले हिस्से से 01 पेटी बियर, 03 पेटी देशी प्लेन शराब एवं 03 पटी देशी मसाला शराब कल 66 ब्लक लीटर शराब कीमती करीबन 40,000/- की मिली, जिसके संबंध में कोई वैध दस्तावेज आदि चाहने पर न होना बताया गया तदोपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर मौके से उक्त अवैध शराब को जब्त किया गया।

आरोपी के विरूद्ध पूर्व में भी पंजीबद्ध है प्रकरण

थाना वापसी आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 113/2026 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त आरोपी के विरूद्ध पूर्व से भी अवैध शराब के विक्रय करने संबंधी प्रकरण पंजीबद्ध हैं। गिरफ्तारशुदा आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल दाखिल किया गया।

चम्बल राजघाट क्षेत्र में

23 लाख मूल्य की अवैध रेत का विनिष्टीकरण

नवभारत न्यूज
मुरैना, 22 मार्च। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अवैध खनन के विरूद्ध सख्त एवं सुनियोजित कार्रवाई करते हुए रविवार को चंबल नदी के राजघाट स्थित पुराने पुल क्षेत्र में विशेष संयुक्त अभियान संचालित किया गया।

उक्त अभियान में राजस्व, वन, पुलिस एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध रूप से संग्रहित रेत के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 1150 ट्रॉली अवैध रेत का विनिष्टीकरण किया गया, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 23 लाख रुपये आंका गया है।

इस कार्रवाई का क्रियान्वयन पुलिस विभाग द्वारा किया गया, जिसमें वन, राजस्व एवं खनिज विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सक्रिय एवं समन्वित सहयोग रहा। अभियान के दौरान 2 जेसीबी मशीनों का उपयोग किया गया तथा 50 से अधिक पुलिस एवं प्रशासनिक बल तैनात रहा।

उक्त कार्रवाई वन अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार प्रात: 9 बजे से सायं 5 बजे तक संपन्न की गई। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार की सख्त एवं सतत कार्यवाहियों का उद्देश्य अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना है।

बसैया पुलिस ने फरार आरोपी दबोचा

नवभारत न्यूज
मुरैना, 22 मार्च। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ (भापुसे) द्वारा जिले में घटित गंभीर अपराधों में वांछित आरोपियों, ईनामी / फरारी बदमाशों की धरपकड़ हेतु सम्पूर्ण जिले में विशेष अभियान संचालित कराया जा रहा है।

उक्त अभियान के तारतम्य में अति. पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र पाल सिंह डाबर के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) मुरैना विजय सिंह भदौरिया के निर्देशन में थाना माताबसैया पुलिस द्वारा अवैध शराब फैक्ट्री के संचालन संबधी प्रकरण में लगभग 02 माह से फरार चल रहे 5,000 /- के ईनामी आरोपी एवं अन्य प्रकरण में लगभग 03 वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया। थाना माताबसैया पुलिस द्वारा दिनांक 22.03.26 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना हाजा के अपराध क्रमांक 12 / 26 धारा 34 (2), 49 (ए) आबकारी एक्ट में लगभग 02 माह से फरार चल रहे 5 हजार के ईनामी आरोपी रक्को उर्फ राकेश गुर्जर पुत्र गोपाल सिंह निवासी नाका को खड़िया का पुरा के पास रोड़ से गिरफ्तार किया गया। उक्त आरोपी के विरूद्ध न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 3249 / 14 धारा 147, 148, 149, 366 भादवि में स्थायी वारंट भी जारी किया गया था। आरोपी उक्त प्रकरण में वर्ष 2023 से फरार चल रहा था । गिरफ्तारशुदा आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल दाखिल किया गया।

बाहरी दीपक के साथ अपने अंदर की रोशनी जगाने का पर्व है नवरात्रि : कृष्णा दीदी

नवभारत न्यूज
मुरैना, 22 मार्च। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मुरैना मुड़ियाखेड़ा में चैत्र नवरात्रि के महापर्व पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन इस कार्यक्रम मे चैतन्य देवियों की झांकी लगाई गई।

दीदी जी ने नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा नवरात्रि में लोग श्रद्धा से देवियों की पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं और उनके नामों का स्मरण करते हैं।यह सब भक्ति की सुंदर परंपरा है। लेकिन अर्थ तभी पूरा होता है जब उस दीपक की लौ हमें भीतर की रोशनी जगाने की याद दिलाए। देवियाँ इसलिए पूजनीय बनीं क्योंकि उन्होंने ज्ञान और पवित्रता को अपने जीवन में धारण किया। हम उनके गुणों का गुणगान करते हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं गुणों को अपने जीवन में धारण करें तो वही शक्तियां हमारे भीतर भी प्रकट हो सकती हैं। नवरात्रि उत्सव मनाने, आनंदित होने और अपनी आध्यात्मिकता को पुनर्जीवित करने का अवसर है। नवरात्रि के दौरान, हम देवी दुर्गा या शक्ति के नौ रूपों का उत्सव मनाते हैं, जो पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक हैं, जबकि उनके चरणों में रावण जैसे राक्षसों का चित्रण पांच नकारात्मक संस्कारों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनमें कामवासना, क्रोध, लोभ, आसक्ति और अहंकार शामिल हैं। इस प्रकार, नवरात्रि इन नकारात्मक गुणों और आदतों से मुक्ति पाने के हमारे प्रयास में देवी-देवताओं का आह्वान करने का अवसर प्रदान करती है।इस नवरात्रि अपनी आंतरिक शक्तियों का अनुभव करें। देवी की प्रतिमाएँ, उनके शस्त्र और उनके रूप—ये सब हमारे अपने आंतरिक गुणों और शक्तियों का प्रतीक हैं।

आत्मा स्वयं शक्ति स्वरूप है

नवरात्रि का संदेश यह है कि हर आत्मा स्वयं शक्ति स्वरूपा है ।आत्मा अपने आप में ही एक चैतन्य ज्योति है। जब आत्मा अपने परमात्मा शिव से राजयोग द्वारा जुड़ती है, तभी उसकी अष्ट शक्तियाँ प्रकट होने लगती हैं। जैसे बैटरी चार्जर से जुड़कर ही ऊर्जा पाती है, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा, सर्वशक्तिमान शिव से जुड़कर ही अपनी खोई हुई शक्तियाँ पुन: प्राप्त करती है। और जब हम अपनी अष्ट शक्तियों को जागृत करके उन्हें व्यवहार में लाते हैं तो हमारा साधारण जीवन भी तब श्रेष्ठ यानि विशेष बन जाता है।

माफिया के खिलाफ पुलिस के सख्त तेवर

नवभारत न्यूज
मुरैना, 22 मार्च। पुलिस अधीक्षक मुरैना समीर सौरभ द्वारा जिले में रेत एवं पत्थर के अवैध रूप से परिवहन, उत्खनन एवं भण्डारण करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु समस्त थाना प्रभारीगण को निर्देशित किया गया। उक्त अभियान के तारतम्य में अति. पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र पाल सिंह डावर के निर्देशन एवं रवि सिंह भदौरिया, एसडीओपी अम्बाह के मार्गदर्शन में थाना पोरसा पुलिस द्वारा अवैध पत्थर का परिवहन करते हुए 01 आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 ट्रक कीमती करीबन 25 लाख की जब्त की गई।

दिनांक 22.03.26 को थाना पोरसा पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि अवैध पत्थर से भरा 01 ट्रक गोरमी से पोरसा तरफ आ रहा है। मुखबिर की उक्त सूचना के आधार पर पोरसा पुलिस द्वारा भिण्ड रोड़ बायपास के पास चैकिंग लगाकर अवैध रूप से पत्थर (फर्सी) का परिवहन करते हुए 01 आरोपी को मय 01 ट्रक के पकडकर चैक किया गया, तो उक्त ट्रक में अवैध पत्थर भरा होना पाया गया, जिसके संबंध में चालक से वैध दस्तावेज चाहे गए तो न होना बताया गया, तदोपरांत मौके से उक्त ट्रक कीमती करीबन 25 लाख को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बाद थाना वापसी पर आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 60 / 2026 धारा 303 (2) बीएनएस, 18 (1) म.प्र. खनिज (अवैध खनन परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2006, 4 (ए 1), 21 (1) खान एवं खनिज अधिनियम, धारा 130, 177 एमव्ही एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया।

किसान कांग्रेस का घेराव एवं ज्ञापन 24 को

मुरैना/जौरा, 22 मार्च। बढ़ती हुई महंगाई किसानों की बढ़ती समस्याओं को लेकर मप्र किसान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान के निर्देश स्थानीय किसान कांग्रेस कमेटी 24 मार्च को एसडीएम कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन देगी। लगातार बढ़ती महंगाई सुरसा के मुंह की तरह और बढ़ती जा रही है, जिससे हर वर्ग के लोग परेशान हो रहे हैं। भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं भाजपा की सरकार में तोड़ चुकी है। भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों बढ़ती महंगाई एवं अन्य जन समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान के निर्देशानुसार स्थानीय ब्लॉक किसान कांग्रेस कमेटी 24 मार्च को अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय का शांतिपूर्ण अनुशासित ढंग से घेराव कर ज्ञापन देगी।

पत्थर का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी हिरासत में

नवभारत न्यूज
मुरैना, 22 मार्च। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ द्वारा जिले में रेत एवं पत्थर के अवैध रूप से परिवहन, उत्खनन एवं भण्डारण करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु समस्त थाना प्रभारीगण को निर्देशित किया गया । उक्त अभियान के तारतम्य में अति. पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र पाल सिंह डावर के निर्देशन एवं श्रीमती दीपाली चंदौरिया नगर पुलिस अधीक्षक, मुरैना के मार्गदर्शन में थाना सिविल लाइन, कोतवाली एवं स्टेशन रोड़ पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए अवैध पत्थर का परिवहन करते हुए 01 आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं मौके से 02 ट्रैक्टर-ट्रॉली कीमती करीबन 14 लाख की जब्त की गई।

दिनांक 22.03.26 को निरीक्षक उदयभान सिंह यादव थाना प्रभारी सिविल लाइन के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन, कोतवाली एवं स्टेशन रोड़ की पुलिस द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ए. बी. रोड़ विक्रमनगर के पास से एवं रामनगर तिराहा से अवैध रूप से पत्थर का परिवहन करते हुए 01 आरोपी को मय 01 ट्रैक्टर-ट्रॉली के पकड़ा एवं 01 वाहन चालक टैक्टर-ट्रॉली को मौके पर छोड़कर भाग गया। तदोपरांत पुलिस द्वारा चैक किया गया, तो उक्त टैक्टरों की ट्रॉलियों में अवैध पत्थर भरा होना पाया गया, जिसके संबंध में चालक से वैध दस्तावेज चाहे गए तो न होना बताया गया, तदोपरांत मौके से उक्त 02 टैक्टर-ट्रॉली कीमती करीबन 14 लाख को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मौके से जब्त किए गए टैक्टर-ट्रोली में से 01 का घटनास्थल सिविल लाइन का होने से थाना वापसी पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 122 / 2026 एवं 01 जब्तशुदा टैक्टर-ट्रोली स्टेशन रोड़ क्षेत्र से जब्त होने पर आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 76/2026 धारा 303 (2), 317 (5) बीएनएस 18 (1) म.प्र. खनिज (अवैध खनन परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2006, 4(ए) 21(1) खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

एक नजर में

कृषि मंत्री कंषाना आज मुरैना आएंगे

मुरैना, 22 मार्च। प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना 23 मार्च को मुरैना आयेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कृषि मंत्री श्री कंषाना 22 मार्च को रात्रि 10 :20 बजे भोपाल से प्रस्थान कर भोपाल एक्सप्रेस द्वारा 23 मार्च को प्रात: 04 बजे मुरैना आयेंगे और निज निवास पर पहुंचकर विश्राम करेंगे। शेष कार्यक्रम मंत्री के अनुसार पृथक से जारी किए जायेंगे।

लोकगीत एवं प्रभात फेरी का आयोजन किया

मुरैना। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वाधान में जिला समन्वयक अधिकारी श्री सतीश सिंह तोमर एवं ब्लॉक समन्वयक अधिकारी श्री राधाशरण पुरोहित मार्गदर्शन में भूमिजा महिला मंडल द्वारा ग्राम निवाजी पुरा में मंदिर पर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत महिलाओं ने लोकगीत, भजन-कीर्तन, प्रभात फेरी का आयोजन किया। जल गंगा संवर्धन के तहत ग्राम वासियों को पानी बचाव के तहत शपथ ग्रहण दिलवाई गई। ''जल ही जीवन है, इसे हमें आने वाली पीढ़ी के लिए बचाए रखना है''। इस अवसर पर भूमिका महिला मंडल की सचिव मिथिलेश तोमर, गुड्डन तोमर, गिरिजा,ऊषा, अंजना, तोमर आदि महिलाएं उपस्थित रहीं।

शासकीय महाविद्यालय में आयोजित हुआ क्षमतावर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम

नवभारत न्यूज
मुरैना, 22 मार्च। विश्व जल दिवस पर विश्व जल दिवस पर ग्राम विकास प्रसूतें समितियां का क्षमतावर्धन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आयोजन शासकीय महाविद्यालय दिमनी में सम्पन्न हुआ। नवांकुर संस्था चंदन बसुंधरा ग्रामोत्थान एवं सहभागी ग्रामीण विकास समिति ने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के सहयोग से किया गया। प्रशिक्षण संभाग समन्वयक धर्मेंद्र सिंह सिसौदिया, जिला समन्वक सतीश तोमर के मार्गदर्शन मे किया गया। मुख्य अतिथि देवेंद्र सिंह भदोरिया संचालक धरती संस्था ने समितियों के अध्यक्ष सचिवों, सदस्यों को ग्राम विकास की अवधारणा से अवगत कराते हुए कहा आप गांव का प्लान तैयार कर

ग्रामसभा में अनुमोदित कराकर कार्य करें। आप दान दाताओं से सहयोग लेकर विकास कार्य कर सकते हैं। प्रस्फुटन समितियां आय-व्यय का लेखा-जोखा रखें। समिति का वार्षिक पृतिवेदन तैयार करें। समिति का पंजीयन करायें। गांव के विकास के छोटे-छोटे कार्य हाथो में ले जैसे जल संरक्षण, पर्यावरण, स्वच्छता, जैविक खेती, शासन की कल्याणकारी योजनाओं को जरुरत बंद लोगों को दिलाने में आप मदद करें। व्यापक प्रचार-प्रसार करें। गांव को खुशहाल बनाने में समितियां बृज बनकर काम कर सकते हैं। प्रशिक्षण का संचालन सर्व पृथम माँ सरस्वती का पूजन कर किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य रखते हुए भीकम सिंह तोमर संचालक चंदन वसुंधरा समिति ने कहा समितियां अपनी पहिचान बनाने के लिऐ सूचना केन्द्र बनायें। छोटी-छोटी बैठक करें, जन सहयोग लेकर आवशयक कार्य करें, पंचायतों के साथ समन्वय बनाकर सहयोग प्राप्त करें। प्रशिक्षण की अध्यक्षता कर रहे म.प्र. जन अभियान परिषद के ब्लॉक समन्वयक रामकेश सिंह सिकवार ने जन अभियान समिति यो को आर्थिक सहयोग के साथ दक्षता प्रशिक्षण के आयोजन कर क्षमता विकास किये जा रहे हैं। आप अपनी समझ बढ़ाकर दक्षता के साथ विकास कार्य करें। उपस्थित लोगों ने दस्तावेजों के प्रमाणित प्रतियों से अवगत कराया। विश्व जल दिवस की सफथ दिलाई गयी।

इनका रहा सराहनीय योगदान

कार्यक्रम को मेनट राघवेंद्र सिंह तोमर, श्रीराम चतुर्वेदी ने संबोधित किया प्रशिक्षण मे दिमनी, चांदपुर, रानपुर, गोठ, शयामपुर खुर्द, लहर आदि समितियों व पंचायत के लोगों ने भाग लिया। लगभग 50 लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन डॉ. प्रेमदीप ने किया कार्यक्रम मे सुशील छारी झमोरिया, सुनील तोमर, गंगा सिंह तोमर, जगदीश गुर्जर, पूर्व सरपंच भगवान सिंह चांदपुर, अजयपाल सिंह गुर्जर पूर्व सरपंच लहर, रामअवतार शर्मा, प्रमोद शर्मा आदि का सराहनीय सहयोग रहा। प्रशिक्षण में उपस्थित लोगों का आभार प्रदर्शन भीकम सिंह तोमर ने किया।

वैज्ञानिक संत निर्भयसागर का आज मुरैना में मंगल प्रवेश

नवभारत न्यूज
मुरैना, 22 मार्च। दिगम्बर जैन संत आचार्यश्री निर्भयसागरजी महाराज का भव्य नगरागमन आज सोमवार को प्रात: 07 बजे होने जा रहा है। बड़ा जैन मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्राचार्य अनिल जैन द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार पूज्य गुरुदेव वैज्ञानिक संत श्रीनिर्भयसागरजी महाराज ससंघ का मंगल पद बिहार श्री सिद्धक्षेत्र सोनागिर से मुरैना की ओर चल रहा था। पूज्य गुरुदेव का अपने शिष्यों के साथ आज प्रात: 07 बजे श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन पंचायती बड़ा जैन मंदिर में भव्य मंगल आगमन होगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय समाज के साधर्मी बंधुओं ने सोनागिर पहुंचकर मुरैना नगरागमन एवं महावीर जन्मकल्याणक महोत्सव में सान्निध्य प्रदान करने पूज्यश्री के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर निवेदन किया । आचार्यश्री ने गुरुभक्तों की भावना को दृष्टिगत रखते हुए सहर्ष मुरैना आगमन की स्वीकृति प्रदान की । आचार्य संघ का सोनागिर से बिहार कर डबरा, ग्वालियर होते हुए मुरैना नगर प्रवेश हो रहा है। मुरैना जैन समाज के सभी बंधु पुलिस पेट्रोल पंप पर आज प्रात: 07 बजे एकत्रित होकर पूज्य आचार्य संघ की अगवानी करेंगे । पुलिस पेट्रोल पम्प से गाजे बाजे के साथ विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा के रूप में नगर के प्रमुख मार्गो से भ्रमण करते हुए पूज्य श्री का बड़ा जैन मंदिर मुरैना में भव्य मंगल आगमन होगा। बड़ा जैन मंदिर कमेटी, जन्मकल्याणक महोत्सव समिति ने सभी साधर्मी बंधुओं एवं गुरुभक्तों से अधिकाधिक संख्या में पूज्य आचार्य संघ की अगवानी हेतु पुलिस पेट्रोल पंप पर पहुंचने की अपील की है।

विश्व जल दिवस

रासेयो ने दिया जल संरक्षण का संदेश

नवभारत न्यूज
मुरैना/अम्बाह, 22 मार्च। विश्व जल दिवस पर राष्ट्रीय सेवा योजना महात्मा लोचनदास उमावि अम्बाह के स्वयं सेवकों ने चांद का पुरा और ताल का पुरा गांव में अभियान चलाकर जल संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर स्वयं सेवकों ने चांद का पुरा में झण्डा तालाब पर दो घंटे श्रमदान कर ताल की साफ-सफाई एवं किनारों का जीर्णोद्धार किया। यहां रासेयो स्वयं सेवकों को कार्य करते हुए देखकर ग्रामीणों में भी सेवाभाव जागृत हुआ और वे भी स्वयं सेवकों के साथ श्रमदान करने में जुट गए। इसके पश्चात स्वयं सेवक ताल का पुरा पहुंचे। यहां गांव में रैली निकाल कर ग्रामीणों को जल का महत्व बताया तथा तालाब के किनारे रंगोली बनाकर जल स्त्रोतों को बचाने का संकल्प दिलाया।

इस अवसर पर रासेयो कार्यक्रम अधिकारी विजय शर्मा ने कहा कि तालाब और नदियां केवल ग्रामीण जलापूर्ति का साधन ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। जिनके किनारे अनेक धार्मिक उत्सव, रीति-रिवाज और परंपराएं सम्पन्न होती रही हैं। परन्तु दुर्भाग्य से हमारे संस्कारों का केन्द्र रहे ये तालाब आज मानवीय उपेक्षा और अतिक्रमण के कारण लगभग विलुप्त होने की कगार पर हैं। जो कि चिंतनीय है। जल स्त्रोतों को बचाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 19 मार्च से 30 जून 2026 तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है । आइए हम सभी इस अभियान का अभिन्न हिस्सा बनें।

कार्यक्रम में रासेयो स्वयं सेवकों दिपांशु शर्मा, देवेन्द्र राठौर, किरन, मुस्कान, राम, श्याम, शिवा, गौरी और ईशा तोमर के साथ ग्रामीणों में प्रमुख रूप से लाखन सिंह,राणा प्रताप तोमर, यदुनंदन, गजेन्द्र सिंह, वीरभान सिंह, अजमेर माहौर और राजकुमार तोमर भी मौजूद रहे।

आम सूचना

श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री भरत सिंह के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड स्थित ग्राम बड़ोखर, तहसील व जिला मुरैना (म.प्र.) है जो भूमि सर्वे क्र.214 ग्राम बड़ोखर का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 760 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में-प्लॉट जण्डेल सिंह राठौर, पशिचम में-प्लॉट दीगर, उत्तर में भूमि श्री राधे शर्मा एवं दक्षिण में-रास्ता 17 फुट चौड़ा है। उक्त सम्पत्ति पूर्व में श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री पन्नालाल द्वारा श्री विध्याराम राठौर पुत्र श्री रामजीलाल राठौर को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. 2368 दिनांक 07.06.2012 से विक्रय की गई थी। श्री विध्याराम राठौर द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री मेवाराम सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह एवं श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री भरत सिंह को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी25792019 1595311 दिनांक 22.08.2019 से विक्रय की गई थी। श्री मेवाराम सिंह द्वारा उक्त सम्पत्ति में से अपने हिस्से की सम्पत्ति के संबंध में श्री बलवीर सिंह के हित में ई-रजिस्टर्ड हकत्याग विलेख क्र. एमपी27आईजीआर 17912025ए100150739 दिनांक 13.03.2025 को सम्पादित किया गया। उक्त सम्पत्ति के वर्तमान स्वामी द्वारा ऐसा अवगत कराया गया है कि उक्त विक्रय विलेख दिनांक 07.06.2012 की मूलप्रति गुम हो गई है। श्री बलवीर सिंह द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान बजाज हाउसिंग फायनेंस लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय को उक्त विक्रय विलेख दिनांक 07.06.2012 की मूलप्रति प्राप्त हो तो वह मूल दस्तावेज प्रदान करें अथवा उसके सम्बन्ध में कोई हित रखते हों अथवा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. मकान नं.52, कैलाश विहार, फेडरल बैंक के पास
सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.)
मो.नं. 98276-72710